राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर
राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

क्रमांकः प.14(7)RSMSSB/अर्थना/कृषि/कनि.अभि./2015/395 दिनांक : 18.12.2015

कार्यालय आदेश

कृषि विभाग के अधीन जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के लिये राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम-1978 के अन्तर्गत कनि. अभियन्ता (कृषि) सीधी भर्ती परीक्षा-2015 की परीक्षा दिनांक 12.07.2015 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का परिणाम बोर्ड द्वारा दिनांक 22.07.2015 को जारी किया गया था। अस्थाई (Provisional) रूप से सफल घोषित अभ्यर्थी श्री अशोक सिंह अन्य पिछडा वर्ग का अस्थाई चयन निरस्त किये जाने के फलस्वरूप उसके स्थान पर आरक्षित सूची से निम्न अभ्यर्थी का अस्थाई (Provisional) रूप से चयन किया जाता है। अतः कनि. अभियन्ता (कृषि) सीधी भर्ती परीक्षा-2015 में निम्नानुसार अस्थाई (Provisional) रूप से सफल घोषित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 28.12.2015 को प्रातः 10.00 बजे **कमेटी रूम, प्रथम तल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर-302005** पर पात्रता की जांच हेतु आवश्यक रूप से विस्तृत आवेदन (दो प्रतियों में) एवं मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवें।

क्र.स.	दिनांक	अभ्यर्थी का नाम व रोल नम्बर
1	28.12.2015	Arjun Lal Sen Nai 100962

पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जावें :-

1. विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की बेवसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर "अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिये आवश्यक निर्देश" एवं कनि.अभियन्ता पद के लिये दिनांक 24.03.2015 को जारी विज्ञप्ति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले।
2. विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में अलग-अलग लाना है। विस्तृत आवेदन की फोटोप्रति स्वीकार नही की जायेगी।
3. शैक्षणिक योग्यता, आयु, आचरण, जाति, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, राष्ट्रीयता, सेवारत होने संबंधी मूल प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज तथा स्वंय का पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ लावें।
4. विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण-पत्रो एवं दस्तावेजों की स्वंय द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
5. अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिये आवश्यक निर्देश एवं विस्तृत आवेदन का प्रारूप मय प्रपत्रों के बोर्ड की बेवसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(आर0 के0 मीना)
अध्यक्ष

क्रमांकः प.14(7)RSMSSB/अर्थना/कृषि/कनि.अभि./2014-15/396 दिनांक : 18.12.2015

प्रतिलिपि :- प्रभारी अधिकारी, आई.टी. अनुभाग को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश बोर्ड की बेवसाइट पर अपलोड करें। साथ ही अस्थाई (Provisional) रूप से चयनित अभ्यर्थी को जरिये ई-मेल एवं उसके मोबाइल पर एस.एम.एस. के द्वारा भी उक्तानुसार सूचित करें।

(सांवर मल वर्मा)
सचिव

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

क्रमांकः प.14(7)RSMSSB/अर्थना/कनि.अभि.(कृषि)/ 2015/392 दिनांक : 18.12.2015

कार्यालय आदेश

कृषि विभाग के अधीन जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग के लिये राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम–1978 के अन्तर्गत कनि. अभियन्ता (कृषि) सीधी भर्ती परीक्षा–2015 की परीक्षा दिनांक 12.07.2015 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का परिणाम बोर्ड द्वारा दिनांक 22.07.2015 को जारी किया गया था। परीक्षा में अस्थाई (Provisional) रूप से सफल घोषित अभ्यर्थी श्री अशोक सिंह का अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी में चयन किया गया था। श्री अशोक सिंह की जाति जाट है तथा वे भरतपुर जिले के निवासी है। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा रिट याचिका संख्या डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2015 द्वारा भरतपुर एवं धौलपुर जिले की जाट जाति को अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणी घोषित किये जाने वाली अधिसूचना क्रमांक 459 दिनांक 10.01.2000 को निरस्त कर दिया गया है। अब भरतपुर एवं धौलपुर के जाट जाति के अभ्यर्थियों को अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। उपरोक्त वर्णित कारण से **श्री अशोक सिंह रोल नं. 101401** का कनिष्ठ अभियन्ता (कृषि) के पद पर किया गया अस्थाई चयन निरस्त किया जाता है।

(आर0 के0 मीना)
अध्यक्ष

क्रमांकः प.14(7)RSMSSB/अर्थना/ कनि.अभि.(कृषि)/2015/393-94 दिनांक : 18.12.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. अनुभाग को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को बोर्ड की बेवसाइट पर अपलोड करें।

सचिव